शैक्षिक समाचार
राजस्थान

शैक्षिक समाचार राजस्थान

(TK5) (150)

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./विविध/3554/11–12/150 दिनांकः– 18/10/11

जिला कलेक्टर
समस्त

विषयः–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 धारा 27 अन्तर्गत शिक्षकों को गैर–शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाने बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (धारा 27) में यह प्रावधान है कि **"किसी भी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, विभीषिका राहत कर्तव्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मण्डलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर–शैक्षिक प्रयोजनों के लिये अभिनियोजित नहीं किया जायेगा।"**

निदेशालय को विभिन्न स्तरों से निरन्तर यह परिवेदनाएं प्राप्त होती हैं कि शिक्षकों को उक्त वर्णित कार्यों से इतर गैर–शैक्षिक कार्यों में लगाया जाता है जिससे शाला में शिक्षण कार्य बाधित होता है। अतः आपसे अनुरोध है कि शिक्षकों को गैर–शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाये। यदि आपके एवं आपके अधिनस्थ कार्यालयों में आर.टी.ई. अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य हेतु शिक्षक को लगाया हुआ है तो कृपया उसे अविलम्ब संबंधित शाला हेतु कार्यमुक्त करवाने का श्रम करें।

सादर।

भवदीय

ह०–
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे यह पूर्ण रुप से सुनिश्चित करें कि आर.टी.ई. अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त उनके जिले के किसी भी विद्यालय के किसी भी शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्य में किसी अन्य कार्यालय में नहीं लगाया जावे।
2. समस्त उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनें की सख्त सतत मोनेटरिंग करेगें।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांकः प. 6(6)प्राशि/2011 जयपुर,दिनांकः 9/5/12

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषयः अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों को बी.एल.ओ. कार्य से मुक्त करने के क्रम में।

संदर्भः आपका पत्रांकः शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./विविध/3554/11-12/403 दिनांक 17.4.12

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के क्रम में अध्यापक को बीएलओ के रूप में तभी नियुक्त किया जाता है जबकि अन्य विभाग का कर्मचारी उपलब्ध न हो। बीएलओ के कार्य एवं दायित्व के विषय में भी यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अध्यापकों द्वारा बीएलओ का कार्य सामान्य अध्यापन कार्य को बाधित किये बिना अतिरिक्त कार्य के रूप में निष्पादित करना है । अध्यापक सामान्य अध्यापन समय के बाद अथवा अवकाश के दिनों में बीएलओ के कार्य को निष्पादित करेगा ताकि अध्यापन कार्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। इसके लिए मानदेय का भुगतान भी किया जाता है।

भवदीय,

शासन उप सचिव

सहायक निदेशक (आर.टी.ई.)
निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा / प्रार / आर.टी.ई. / विविध / 3554 / 12–13 / 51 दिनांकः– 1/6/12

प्रेषक :

हर सहाय मीणा IAS
निदेशक

प्रेषिती :

उपनिदेशक
प्रारंभिक शिक्षा
जयपुर / जोधपुर / कोटा / अजमेर /
चुरू / भरतपुर / उदयपुर

विषयः– अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुरूप प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों को बी.एल.ओ. कार्य से मुक्त करने के संबंध में।

प्रसंगः– शासन उपसचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग का पत्रांक प.6(5)प्राशि / 2011 / जयपुर दिनांक 09.05.12

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के क्रम में अध्यापक को बी.एल.ओ. के रूप में तभी नियुक्त किया जाता है जबकि अन्य विभाग का कर्मचारी उपलब्ध न हो। बी.एल.ओ. के कार्य एवं दायित्व के विषय में भी यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अध्यापकों द्वारा बी.एल.ओ. का कार्य सामान्य अध्यापन कार्य को बाधित किये बिना अतिरिक्त कार्य के रूप में निष्पादित करना है। अध्यापक सामान्य अध्यापन समय के बाद अथवा अवकाश के दिनों में बी.एल.ओ. के कार्य को निष्पादित करेगा ताकि अध्यापन कार्य पर विपरित प्रभाव नही पडे इसलिए मानदेय का भुगतान भी किया जाता है।

अतः उक्त आदेशों की अनुपालना अपने मण्डल के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक 31/5/12

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन उपसचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर को उनके पत्रांक प. 6(5)प्राशि / 2011 / जयपुर दिनांक 09.05.12 के क्रम में।
2. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ....
3. अनुभाग अधिकारी पंचायत राज अनुभाग कार्यालय हाजा।
4. अनुभाग अधिकारी शैक्षिक अनुभाग कार्यालय हाजा।
5. निजी सचिव निदेशक महोदय कार्यालय हाजा।

उपनिदेशक(आर.टी.ई.)

D:\new backup\Backup D\Other\New Rte.docx

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/विधि/ए–1/जय/5538/बी/2012 दिनांकः– 14-6-12

प्रेषकः–

हर सहाय मीणा I.A.S

निदेशक

प्रेषितिः–

समस्त

उप निदेशक/

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा

................................।

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा(विधि)

जयपुर/जोधपुर।

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं

राजस्थान, बीकानेर।

विषयः–याचिका संख्या 7819/12 श्री सुरेशचन्द्र मीणा बनाम सरकार के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.12 की पालना बाबत्।

–00–

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य लिये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु निर्देशित किया है। इस संबंध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक–2009 की धारा 27 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि "किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कार्यों, पंचायतीराज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, विधान मण्डलों, विधान सभा और संसदीय चुनावों से जुड़े कार्यों के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं दिया जावेगा"। माननीय मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र क्रमांक एफ–21(19)शिक्षा/ग्रुप–1/प्राशि/09 दिनांक 20.04.12 के द्वारा भी अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्यों मे नहीं लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः विषयान्तर्गत प्रकरण में पारित निर्णय के क्रम में यह निर्देश दिये जाते हैं कि विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जावे तथा इस बाबत् पालना रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

Sd

निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. सहायक निदेशक शिक्षक संस्थापन अनुभाग कार्यालय हाजा को मय निर्णय प्रति के वास्ते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है।
2. अनुभाग अधिकारी अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुभाग कार्यालय हाजा को मय निर्णय प्रति के वास्ते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है।

निदेशक 13.6.12

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डॉ. गोविन्द शर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांकः प.17(14)प्राशि/2015–पार्ट जयपुर,दिनांक 22 MAY 2015।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषयः मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान– National Electoral Rolls Purification and Authentication Programme (NERPAP) - 3 मार्च, 2015 से 31 जुलाई, 15 तक– बी.एल.ओ. के पद पर नियुक्त शिक्षकों के सम्बन्ध में।

संदर्भः निर्वाचन विभाग को पत्रांकः प.3(2)(1)रोल्स/निर्वा./2015/एनईआरपीएपी/1747 दिनांक 07.05.15

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र मय अनुलग्नकों की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान– National Electoral Rolls Purification and Authentication Programme (NERPAP) - 3 मार्च, 2015 से 31 जुलाई, 15 तक, में ऐसे बूथ लेवल अधिकारी शिक्षक जो स्वैच्छिक रूप से ग्रीष्मावकाश अवधि में कार्य करना चाहते है, को राजस्थान सेवा नियम के नियम 91(1) के अनुरूप तीन कार्य दिवस पर एक दिन का उपर्जित अवकाश देय होगा, जो किसी कलेण्डर वर्ष में देय अधिकतम 15 दिवस के उपार्जित अवकाश के अध्यधीन होगा।

उपरोक्तानुसार उपार्जित अवकाश की स्वीकृति बी.एल.ओ. शिक्षकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगी।

अतः तद्नुसार तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर प्रति इस विभाग के साथ ही निर्वाचन विभाग को भी भिजवाने का श्रम करावें ।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

Sd/-

(बी.आर. चौधरी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन सहायक सचिव

शैक्षिक समाचार राजस्थान
www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/प्रारं/शिक्षक–संस्था/एफ.2/प्र.नि./निर्देश/2016 दिनांक 21/6/16

समस्त उपनिदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा

अत्यावश्यक

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा,

विषयः–मतदाता सूचियों में शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान 2016 बूथ लेवल अधिकारी के पद पर नियुक्त शिक्षकों के संबंध में।
प्रसंगः–भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 23/2016–ईआरएस दिनांक 27.02.16 एवं कार्यवाक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,जयपुर के प3(2)(1)रोल/निर्वा/2015 /पार्ट II/NERP/1869 दिनांक 10.5.11 के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय ,अभियान 2016 का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्यन हेतु फील्ड स्तर पर बूथ लेवल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में लगभग 70–75 प्रतिशत बूथ लेवल अधिकारी शिक्षकों में से है, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1960 की धारा 13(बी) के अन्तर्गत नियुक्त है।

अभियान की अवधि में (ग्रीष्मावकाश) माह–मई–जून में राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक अवकाश रहेगा जबकि यह कार्यक्रम जारी रहेगा। ऐसे बूथ लेवल अधिकारी शिक्षक जो स्वेच्छिक रूप से अवकाश अवधि में अभियान के अन्तर्गत कार्य किया है, उन्हें ग्रीष्मावकाश अवधि (माह मई–जून) में अवकाश के बदले कार्य करने के लिए **राजस्थान सेवा नियम 92(बी) के अन्तर्गत ग्रीष्मावकाश एवं शीलकालीन अवकाश के दिनों में अध्यापकों द्वारा राज्यकीय कार्य करने पर उनका उपार्जित अवकाश देने का नियम में स्पष्ट प्रावधान है।** उपार्जित अवकाश की स्वीकृति बीएलओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रमाण–पत्र के आधार पर इस अवकाश में किए गए कार्य दिवसों के बदले की जावेगी। तदनुसार कार्यवाही अमल में लायी जाय।

(जगदीश चन्द्र पुरोहित)
I.A.S.
निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

- शासन सचिव,माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर को डायरी सं. एस 3688 दिनांक 12.5.16 के संबंध में।
- कार्यवाक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को प्रासांगिक पत्र के संबंध में।
- निजी सचिव,निदेशक को शासन सचिव,माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर को डायरी सं. एस 3688 दिनांक 12.5.16 के संबंध में।

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

(158)

अति–आवश्यक

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./यास 7819/6 दिनांकः–21/6/12

प्रेषकः
हर सहाय मीणा IAS
निदेशक

प्रेषितीः
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा
....

विषयः– शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यो में नहीं लगाये जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य लिये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु निर्देशित किया है। इस सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना,आपदा राहत कार्यो, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, विधान मण्डलों, विधानसभा और संसदीय चुनावों से जुड़े कार्यो के अतिरिक्त कोई और कार्य नही दिया जावेगा। मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र संख्या एफ. 21(19)शिक्षा/ग्रुप–I/प्राशि/09 दिनांक 20.04.12 के द्वारा भी शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यो में नहीं लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में यह निर्देश दिये जाते है कि विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्यो में नही लगाया जावें तथा इस बाबत पालना रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें एवं इस आशय का प्रमाण पत्र भिजवावें कि जिले में कोई भी शिक्षक गैर शैक्षिक कार्यो में नही लगा हुआ है। ताकि माननीय उच्च न्यायालय को पालना रिपोर्ट से अवगत करवाया जा सकें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

ह०
निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर।
2. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा ....
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग/शिक्षक संस्थापन अनुभाग कार्यालय हाजा।

निदेशक
21.6.12

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/प्रारं/शिक्षक–संस्था/एफ.2/प्र.नि./निर्देश/2018 दि 18/6/18

समस्त जिला कलक्टर्स **अत्यावश्यक**

विषयः–गैर शैक्षिक कार्यों में लगे कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के संबंध में।

महोदय,

विभाग में कार्यरत शिक्षक अपने मूल पदस्थापित स्थान से अन्य विभाग जिला कलक्टर, उपखण्ड, तहसील, निर्वाचन, जिला परिषद व पंचायत समिति कार्यालय अथवा विभाग के कार्यालयों में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 की अवहेलना कर प्रतिनियुक्ति पर चल रहे है। इस अधिनियम की धारा 27 में यह प्रावधान है कि किसी भी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, विनीषिकी राहत कर्तव्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मण्डलो या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर–शैक्षिक प्रयोजनों के लिये अभिनियोजित नहीं किया जायेगा।

शिक्षकों को उक्त वर्णित कार्यों से इतर गैर–शैक्षिक कार्यों में लगाया जाता है, चुनाव संबंधी कार्य संपादित हो जाने के उपरांत भी लंबे समय तक प्रतिनियुक्तियों पर रहते है। जिससे शाला में शिक्षण कार्य बाधित होता है।

शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग,जयपुर के पत्रांक- प.9(2)प्राशि/2015 दिनांक 7.7.15 से परिपत्र जारी कर इन प्रतिनियुक्तियों को समाप्त कर कार्मिकों को मूल विभाग में भिजवाने हेतु लिखा गया था।

आज भी अनेक शिक्षक जिला कलक्टर, उपखण्ड, तहसील, निर्वाचन, जिला परिषद व पंचायत समिति कार्यालयों अथवा अन्य विभागों में गैर शैक्षिक कार्यों में प्रतिनियुक्त/कार्य व्यवस्थार्थ लगे हुए है। राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों की पालना में निवेदन है कि इन सभी को तत्काल अपने मूल पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त कराने का श्रम करें।

भवदीय,

18/6/18

(जगदीश चन्द्र पुरोहित)
I.A.S.

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

- शासन सचिव,माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर
- समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद
- समस्त उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा,

18/6/18

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

मेल

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / माध्य / संस्था / एफ–3 / 13406 / सामा. / प्रतिनियुक्ति / 2016/25 दिनांक– 26/07/2016

अति–आवश्यक
स्मरण–पत्र

समस्त उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा,

विषयः– अन्य विभागों में व्यवस्थार्थ / प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों को मूल विभाग में भिजवाने के संबंध में ।

प्रसंगः– राज्य सरकार का पत्रांक–प.19(01)शिक्षा–2 / 2013 जयपुर दिनांक–17.02.16 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र कमांक–शिविरा / माध्य / संस्था / एफ–3 / 13406 / सामा. / प्रतिनियुक्ति / 2016 दिनांक–11.03.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र की पालना में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–11.03.2016 द्वारा आपको यह निर्देश दिये गये थे कि कलेक्ट्रेट / उप खण्ड / तहसील कार्यालयों में मतदान एवं अन्य कार्यो के लिए शिक्षकों को कार्य व्यवस्थार्थ नहीं लगाया जावे। यदि वर्तमान में कलेक्ट्रेट / उप खण्ड / तहसील कार्यालयों में शिक्षक कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापित किए हुए है तो उन्हें तत्काल अपने मूल पदस्थापित स्थान पर कार्य किये जाने हेतु कार्यमुक्त करावें। यदि उक्त निर्देशों के बावजूद भी किसी विभाग द्वारा शिक्षक को उसके मूल पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा तो उस शिक्षक का माह फरवरी, 2016 से वेतन आहरित नहीं किया जावे। इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त निर्देशों पर आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई, अवगत करावें ।

अतः वर्तमान में जो शिक्षक कलेक्ट्रेट / उप खण्ड / तहसील कार्यालयों में कार्यव्यवस्थार्थ लगे हुए है, की सूचना 03 दिवस में इस कार्यालय को ई–मेल से भिजवाना सुनिश्चित करावें ताकि राज्य सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा सकें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें ।

ई–मेल पता–dirsecedu.estf.raj@gmail.com

शिक्षक समाचार राजस्थान

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग

क्रमांक–प. 19(12)शिक्षा–2 / 2016 जयपुर, दिनांक 25.7.16

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : राजकीय उच्च माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शैक्षणिक व्यवस्थार्थ शिक्षकों को नहीं लगाये जाने बाबत।

संदर्भ : शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग के आदेश क्रमांक: प.22(6)शिक्षा–1/2002 दिनांक: 12.05.2016 एवं 27.07.16 के क्रमे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 12.5.2016 एवं 27.07.16 द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शैक्षणिक व्यवस्था हेतु शिक्षकों को लगाने के सम्बन्ध में जारी आदेश को प्रत्याहारित कर लिया गया था, किन्तु यह देखने में आया है कि उक्त निर्देशों के पश्चात् भी कतिपय अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा अपने स्तर से विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्थार्थ शिक्षकों को लगाया जा रहा है, जो खेदजनक ही नहीं अपितु राज्य सरकार के आदेशों / निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

अतः उक्त निर्देशों के सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि विद्यालयों में कार्यव्यवस्थार्थ / प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक नहीं लगाये जाने के सम्बन्ध में संदर्भित पत्रों के द्वारा जारी निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

लगातार—पृ0–2

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/प्रारं/शिक्षक–संस्था/एफ.2/निर्देश/प्र.नि./2016 दिनांक : 17/08/16

समस्त उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा

स्मरण पत्र नं. 03

विषय–गैर शैक्षिक कार्यो में कार्य व्यवस्थार्थ/ प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित शिक्षकों को अपने मूल पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कराने के संबंध में।

प्रसंग–इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.5.16, 01.07.16 व 01.08.16

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों का अवलोकन करने का श्रम करें। इसके तहत लिखा गया था कि विभाग में कार्यरत शिक्षक अपने मूल पदस्थापित स्थान से अन्य विभाग जिला कलक्टर, उपखण्ड, तहसील, निर्वाचन, जिला परिषद व पंचायत समिति कार्यालय अथवा विभाग के कार्यालयों में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 की अवहेलना कर प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। इस अधिनियम की धारा 27 में यह प्रावधान है कि किसी भी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मण्डलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर–शैक्षिक प्रयोजनों के लिये अभिनियोजित नहीं किया जावेगा।

शिक्षकों को उक्त वर्णित कार्यों से इतर गैर–शैक्षिक कार्यों में लगाया जाता है, चुनाव संबंधी कार्य संपादित हो जाने के उपरांत भी लंब समय तक प्रतिनियुक्ति पर रहते हैं। जिससे शाला में शिक्षण कार्य बाधित होता है। **इस संबंध में इस कार्यालय स्तर व राज्य सरकार स्तर से भी अनेक बार निर्देशित किये जाने तथा यहां तक कि माह फरवरी 2016 से वेतन आहरित नहीं किये जाने के निर्देश के उपरांत भी बहुत से शिक्षक आज भी गैर शैक्षिक कार्यों में कार्य व्यवस्थार्थ/ प्रतिनियुक्ति पर है।**

इस संबंध में लेख है कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारंभिक शिक्षा अपने मण्डल के मण्डल अधिकारी को पत्र में संलग्न प्रपत्र में चाही गई सूचना प्रेषित करेंगे तथा उपनिदेशक,प्रारंभिक शिक्षा अपने मण्डल के जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सूचना संकलित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करेंगे ।

–: प्रपत्र :–

क्र. सं	जिले का नाम	उक्त आदेशों की पालना में कितने शिक्षकों ने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया	उक्त आदेशों के उपरांत भी वर्तमान में कितने शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर है	इन में से कितने शिक्षकों का वेतन माह फरवरी 16 से रोका गया(आदेश की प्रति संलग्न करें)
1.	2.	3.	4.	5.

शैक्षिक समाचार राजस्थान

वांछित सूचना आपकी ओर से प्राप्त होनी अपेक्षित है। एतद् द्वारा पुनः निर्देश प्रदान किये जाते हैं चाही गई सूचना संलग्न प्रपत्र में अविलंब भिजवाने का श्रम करें। **जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारंभिक शिक्षा,भीलवाड़ा वांछित सूचना अविलंब उपनिदेशक,प्राशि,अजमेर को भिजवाने का श्रम करें**। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

अतिरिक्त निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 19(12) शिक्षा–2/2016 जयपुर, दिनांक : 05/06/2020

:: आदेश ::

शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक–21(2) शिक्षा–2/2005 दिनांक 06.03.2006 के द्वारा शिक्षा विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक–प. 10(17) शिक्षा–1/96 दिनांक 23.12.1996, प. 5(1) शिक्षा–2/1998 दिनांक 10.06.1998 एवं प. 17(164) शिक्षा/विप्र/01 दिनांक 23.04.2003 के द्वारा तथा **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार अधिनियम की धारा–27** में वर्णित कार्यों से इतर गैर–शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाये जाने के प्रावधान के दृष्टिगत शिक्षकों को गैर–शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न करने के कारण शैक्षणिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले व्यवधान को कम करने के प्रयोजनार्थ शिक्षकों को गैर–शैक्षणिक कार्यो में नहीं लगाये जाने के सम्बन्ध में निर्देश राज्य सरकार ने जारी किये हैं।

उक्त आदेशों के उपरान्त भी शिक्षकों की ड्यूटी गैर–शैक्षणिक कार्यों में लगाये जाने से शिक्षक संगठनों के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों के दृष्टिगत पुनः निर्देशित किया जाता है कि पूर्व प्रदत्त निर्देशों एवं अधिनियम की अपेक्षाओं की पालना करते हुये कोविड–19 महामारी के सम्बन्ध में जारी राजकीय निर्देशों के अतिरिक्त अन्य गैर–शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जावे।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे।

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तरी खण्ड, खाद्य भवन, निर्वाचन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: F.12(1)(2-46)RTI/Elec./21/ 4101 जयपुर, दिनांक 26.8.21

प्रेषिति :– श्री दिनेश कुमार,
H. No. 20-A, Jyoti Nagar, NR, Akash Nagar,
Devli Arab Road, Borkhera, Kota
Mob. No. 8107771877
E-Mail ID- dpathak849@gmail.com

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

प्रसंग :– आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 18436/14.08.21

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका आवेदन पत्र भारत निर्वाचन आयोग से अन्तरित होकर इस कार्यालय में दिनांक 26.08.21 को प्राप्त हुआ है।

निर्वाचन विभाग, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में चुनाव कार्य सम्पादित करता है, इस कार्यालय द्वारा किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी बूथ लेवल अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती है। BLO की नियुक्ति संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये पदाभिहित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा की जाती है।

आप द्वारा वांछित सूचना प्रश्नात्मक है तथापित सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को देखते हुए इस कार्यालय का जवाब निम्न प्रकार है :–

	वांछित सूचना	विभाग का जवाब
1	क्या चुनाव कार्य में SDM रामगंजमंडी BLO द्वारा के कार्य में पंचायत सहायकों को लगाया जा सकता है क्या ?	बूथ लेवल अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र/निर्देश क्रमांक 23/BLO/2010/ERS दिनांक 03.11.2010 की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है।

इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि आप द्वारा वांछित सूचना से संबंधित अभिलेख के लिये आप किसी भी कार्य दिवस एवं किसी भी कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षर के समक्ष नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरिक्षण कर सकते हैं। वांछित सूचना की सत्यापित प्रतिलिपि हेतु नियमानुसार 2/- रूपये प्रति पृष्ठ की दर से सूचना शुल्क जमा कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदिष्ठ,

(नीतू राजेश्वर)
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: F.12(1)(2-46)RTI/Elec./21/ 4101 जयपुर, दिनांक 26.8.21

प्रतिलिपि श्री राहुल शर्मा, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को उनके पत्र 18436/14.08.21 क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

To

The Chief Electoral Officer of All
States and Union Territories.

Sub : Appointment of Booth Level Officers (BLOs) – regarding.

Sir/Madam,

In the meeting of Chief Electoral Officers held on 26th October, 2010, the issue of deployment of BLOs, among other issues, was discussed in detail. It was observed that despite the Commission's clear instructions that one BLO should be made responsible for only one part of Electoral Roll, a number of BLOs still continue to have charge of two or more than two polling booths. In this connection, the Commission directed that immediate efforts should be made to draft more staff as BLO to ensure that one BLO remains in-charge of only one part. The Commission has further directed that the BLO should be a government employee who is enrolled as an elector in the part of Electoral Roll, which is under his charge. A suggested list of categories of government/semi government employees in addition to teachers who can be appointed BLO is given below:-

1. Anganwadi workers,
2. Patwari/Amin/Lekhpal,
3. Panchayat Secretary,
4. Village Level Workers,
5. Electricity Bill Readers,
6. Postman,
7. Auxiliary Nurses & Mid-wives,
8. Health workers,
9. Mid-day meal workers,
10. Contract teachers,
11. Corporation Tax Collectors,
12. Clerical Staff in Urban area (UDC/LDC etc.)

CEOs should instruct all DEOs that they take utmost care while deploying semi government employees as BLO. Credentials of these workers should be verified thoroughly to ensure that they do not have any political allegiance.

Yours faithfully,

(NARENDRA N. BUTOLIA)

STANDARD DISTRIBUTION

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

क्रमांकः–न्याय / 2023 / 521 दिनांकः– 16 मई, 2023

1. जिला स्तरीय अधिकारीगण,
   समस्त, जिला सीकर
2. उपखण्ड अधिकारी, समस्त
   जिला सीकर

विषयः– अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–27 की पालना बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) द्वारा समय समय पर इस आशय के ज्ञापन विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुत किए है कि सभी विभागों द्वारा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–27 की पालना की जाए ताकि अध्यापन समय में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके।

आज दिनांक 16.05.2023 को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई बैठक के दौरान भी इसी बिन्दु पर चर्चा पश्चात सभी अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शिक्षा (ग्रुप–2)विभाग के आदेश क्रमांक प.19(12)शिक्षा–2 / 2016 दिनांक 05.06.2020 की पालना सुनिश्चित की जाए।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलेक्टर, सीकर

क्रमांकः–न्याय / 2023 / 521 दिनांकः–16 मई 2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निजी सचिव, जिला कलक्टर।

अति. जिला कलक्टर, सीकर

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः एफ.3(2)(1)रोल्स/निर्वा/2008/पार्ट–III/ 1815 जयपुर, दिनांकः– 17/5/23

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

विषयः– बूथ लेवल अधिकारी (BLO) लगे हुए शिक्षको द्वारा बूथ लेवल अधिकारी (BLO) कार्य का बहिष्कार करने के संबंध में।

प्रसंगः– जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), चूरू के पत्रांक एफ 37(1)() निर्वा/रोल/BLO/ज्ञापन/1433/दिनांक 19.04.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), चूरू के प्रासंगिक पत्र द्वारा अवगत कराया है कि बूथ लेवल अधिकारी कार्य में नियुक्त बीएलओं शिक्षको द्वारा विधानसभा क्षेत्र सरदारशहर के बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) द्वारा कार्य का पूर्ण बहिष्कार कर देने के कारण कार्य निष्पादन में गिरावट आ गई है। **(प्रति संलग्न)**

बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) की नियुक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ख (2) के अंतर्गत की जाती है, और लोक प्रतिनिधित्व की धारा 13 ग ग के अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी आदि का निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त होने के कारण आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण एवं अनुशासन के अध्यधीन पदाभिहित रहते है।

निर्वाचन संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रीय महत्व का कार्य होता है, ऐसे शिक्षको द्वारा कार्य नहीं करने के कारण निर्वाचन से संबंधित निर्वाचक नामावलियों आदि कार्य निष्पादन में गिरावट आई है, साथ ही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शिक्षक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की नियुक्ति के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा माननीय न्यायालयों द्वारा पारित नियमों के अध्यधीन जारी किये गये अनुसार ही कार्य सम्पादन करवाने हेतु निर्देशित किया जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीन लोक सेवको द्वारा राष्ट्रीय महत्व के कार्य के प्रति उदासीनता/समय पर कार्य निष्पादन नहीं करने वालो के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करावें।

<u>संलग्नः–उपरोक्तानुसार</u>

भवदीय,

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ.3(2)(1)रोल्स/निर्वा/2008/पार्ट–III/ 1815 जयपुर, दिनांक : 17/5/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर), राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि यदि आपके अधीनस्थ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शिक्षक बीएलओ द्वारा उदासीनता बरती जाती है तो संबंधित बीएलओ की नामजद रिपोर्ट निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को प्रेषित करने का श्रम करावें।
4. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) चूरू

क्रमांक : एफ 37(1)()निर्वा./रोल/बीएलओ/2023/1433 दिनांक :19.04.2023

श्रीमान् मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान जयपुर।

Rolls
19.4.23

विषय :- राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) शाखा तहसील सरदारशहर के पत्रानुसार बीएलओ कार्य का पूर्ण बहिष्कार करने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) सरदारशहर ने राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) शाखा तहसील सरदारशहर के पत्रांक ज्ञापन 2023/4090 दिनांक 20.03.2023 के द्वारा अवगत करवाया है कि ज्ञापन के अनुसार बीएलओ लगे हुए शिक्षको ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सरदारशहर में बीएलओ कार्य करने का पूर्ण बहिष्कार कर दिया है। सरदारशहर के समानान्तर ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र- रतनगढ व चूरू में भी शिक्षको द्वारा बीएलओ कार्य करने का पूर्ण बहिष्कार कर दिया गया है। संघ के प्रस्तावानुसार 55 वर्ष से अधिक, गंभीर बीमारी से ग्रसित आदि शिक्षको का कार्यभार हटा दिया गया है। अभी तक तो उनको कई बार बुलाने पर कार्य करवा लिया जाता था। किन्तु अब शिक्षको द्वारा हठधर्मिता धारण करते हुए बीएलओ ऐप 3.0 पर पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर दिया है। जिसके कारण इन 3 विधानसभा क्षेत्रो में कार्य निष्पादन में गिरावट आ गई है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि इस संबंध में उचित कार्यवाही करते हुए शिक्षको (बीएलओ) को निर्देशित करवाने का श्रम करवायें।

सादर।

19.4.23
(लोकेश कुमार गौतम)
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर), चूरू

क्रमांक : एफ 37(1)()निर्वा./रोल/बीएलओ/2023/1434-35 दिनांक :19.04.2023

प्रतिलिपि : प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत/प्रेषित है।

1. निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. कार्यालय प्रति।

19.4.23
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर), चूरू

शैक्षिक समाचार राजस्थान

Shaikshik Samachar Rajasthan

हमारे द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पोर्टल में ज्वाइन करने के लिए दिए गए नाम के सामने क्लिक करें

S.N	GROUP NAME	JOIN GROUP
1	TWITTER	CLICK HERE
2	FACEBOOK	CLICK HERE
3	WEBSITE (RAJGYAN)	CLICK HERE
4	TELEGRAME	CLICK HERE
5	TELEGRAME SAMADHAN	CLICK HERE

शैक्षिक समाचार राजस्थान